

# कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा विभाग) जिला बस्तर जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / २४५२ / उअं मावि / संविदा / विज्ञापन / 2023,  
<http://cemploymentnews.in/>

जगदलपुर समाचार संकांक / ८ / ०५ / २०२३



## —: विज्ञापन :—

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ.23-8 / 2020 / 20-दो / 1662,1664,1666,1668,1670,1672, एवं 1674 दिनांक 02 / 05 / 2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ. 23-8 / 2020 / 20-दो / 53,54,55 एवं 56 दिनांक 02 / 05 / 2023 के अनुपालन में बस्तर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बड़ेचकवा में निम्नानुसार शैक्षिक एवं गैर शिक्षकीय पदों पर संविदा नियुक्ति की जानी है। इस हेतु योग्य उम्मीदवारों से विज्ञापन में निहित शर्तों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बस्तर जगदलपुर पिन कोड-494001 के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित कर सकेंगे। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जावेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि २३/०५/२०२३ दिन दोपहर सायं ५:३० बजे तक होगी। समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्रमांक	संस्था का नाम	पदनाम	संकाय	रिक्त पदों की संख्या	प्रवर्ग	
1	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बड़ेचकवा विकासखण्ड बस्तर	व्याख्याता	हिन्दी	1	अनारक्षित	
			संस्कृत	1	अनारक्षित	
			अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
			गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
			सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
			जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
			भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
			रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
			वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
				1	अज्जा	
2			शिक्षक	संस्कृत	1	अनारक्षित
			अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
			गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
			विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
3			शिक्षक कम्प्युटर	कम्प्युटर शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित
4			व्यायाम शिक्षक	व्यायाम शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित
5		सहायक शिक्षक	कला (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
			विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
				2	अज्जा	
6		सहायक शिक्षक विज्ञान	सहायक शिक्षक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	
				1	अज्जा	
7	ग्रंथपाल	ग्रंथपाल (अंग्रेजी माध्यम)		1	अनारक्षित	
योग:-				24		

टीप:- उपरोक्त व्याख्याता पद हेतु संविदा मानदेय राशि 38100/-, शिक्षक/कम्प्युटर शिक्षक/व्यायाम शिक्षक पद हेतु संविदा मानदेय राशि 35400/-, सहायक शिक्षक पद हेतु संविदा मानदेय राशि 25300/- एवं ग्रंथपाल पद हेतु संविदा मानदेय राशि 22400/- एक मुश्त मासिक वेतन देय होगा।

### संविदा पदवार न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक योग्यताओं का विवरण :-

- (1) व्याख्याता — मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी अंको के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी0एड0 प्रशिक्षित। संस्कृत एवं हिन्दी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की वाध्यता शिथिल रहेगी।
- (2) शिक्षक — मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि एवं बी0एड0 प्रशिक्षित। (संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु अंग्रेजी माध्यम से Download the **छत्तीसगढ़ रोज़गार समाचार App Now** [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mithila\\_tech.chhattisgarhupdates](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mithila_tech.chhattisgarhupdates)

उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है किन्तु अभ्यर्थी की स्नातक परीक्षा में संस्कृत साहित्य एक विषय अनिवार्य रूप से रहा हो, इसी प्रकार से अंग्रेजी विषय के शिक्षक अभ्यर्थी की स्नातक परीक्षा में अंग्रेजी साहित्य एक विषय होना अनिवार्य है।

- (3) **कम्प्यूटर शिक्षक** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ अंग्रेजी माध्यम से बी.एस.सी.कम्प्यूटर साईंस/बी.ई./बी.टेक. (कम्प्यूटर साईंस/आई.टी.), बी.सी.ए. एवं अन्य समकक्ष योग्यता।
- (4) **व्यायाम शिक्षक** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा के साथ बी.पी.एड./डी.पी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण।
- (5) **सहायक शिक्षक कला/विज्ञान** – सहायक शिक्षक कला संकाय हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में कला संकाय में कला/वाणिज्य विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी०एड०/ डी०एल०एड० प्रशिक्षित तथा सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान एवं गणित न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी०एड०/ डी०एल०एड० प्रशिक्षित।
- (6) **सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला** – मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान/गणित विषय में 45 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (7) **ग्रंथपाल** – मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा के साथ बी.लिब./डी.लिब. परीक्षा उत्तीर्ण।

### संविदा भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें:- संविदा भर्ती में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी:-

- 1– आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्र में शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु-सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
- 2– यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमिलेयर) का हो तो, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छट्ट(आयु/आरक्षण) का लाभ नहीं होगा।
- 3– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
- 4– ४००० सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 5– अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दांपतित्यों के सर्वग पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 6– राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 7– आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश भी लागू होंगे।
- 8– कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।
- 9– संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी नवीन प्रचलित संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तों के अधीन होगी।
- 10–शिक्षक (संस्कृत/अंग्रेजी/गणित/विज्ञान) एवं सहायक शिक्षक (कला/विज्ञान) पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को प्राथमिकता दी जावेगी। तत्पश्चात् अन्य अभ्यर्थीयों के चयन पर विचार किया जावेगा।
- 11–संस्कृत एवं हिन्दी विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन/अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी।
- 12–व्याख्याता, सामाजिक विज्ञान विषय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर राजनीति/इतिहास/र्वशास्त्र/भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शालेय एवं महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बी०एड० की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी अविदेशी संकृत हन्तीसगढ़ रोजगार समाचार App Now -

3—निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छान—बीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा—आपत्ति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी एवं उसे एन.आई.सी. —पोर्टल पर भी देखा जा सकेगा।

<http://cgemploymentnews.in/>

14—दावा—आपत्ति उपरान्त मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 1:5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। जिस हेतु आवेदक के डाक पते पर सूचना पृथक से दी जावेगी। सभी आवेदक अपना मोबाईल—नम्बर (व्हाट्स—एप्प नम्बर) अपने आवेदन में अनिवार्य रूप से दर्शायें।

15—अभ्यर्थियों के न्यूनतम अहर्तादायी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 90% एवं साक्षात्कार में पूर्णक 10% में से प्राप्त अंकों के योग में से मेरिट सूची तैयार की जावेगी जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन मेरिट अनुक्रम के आधार पर किया जावेगा। सभी पदों हेतु साक्षात्कार लिया जावेगा।

16—आवेदन—पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्व—प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।

17—आवेदक को लिफाफे के उपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम एवं विषय का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण एवं त्रृटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।

18—आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को 27/-—का डाक टिकट चस्पा किया हुआ स्वंय का वर्तमान निवास का पता लिखा दो लिफाफे संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

19—विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यताएँ ही मान्य होगीं।

20—छ0ग0 के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

21—रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

22—शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर मासिक संविदा—वेतन देय होगा।

23—संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि आगामी वर्ष के लिए निरन्तर रखे जाने पर विचार किया जावेगा।

24—संविदा अवधि के दौरान एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज् में एक माह का मानदेय देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

25—एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक—पृथक आवेदन करना होगा।

26—नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची, जारी दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैद्य रहेगी।

27—प्रतीक्षा सूची की वैद्यता 01 वर्ष के लिये वैद्य रहेगी।

28—चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले की होगी उसका चयन किया जावेगा।

29—विज्ञापित पदों में वर्ष 2022 में की गई संविदा भर्ती के दौरान रिक्त रह गये पद समाहित है।

30—उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये की जाने वाली चयन उपरान्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी (सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

31—युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि, दोहरी उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्र.फा.सं.4—1/2022(IC) दिनांक 02 मई 2022 के विनियम के अधीन होगी।

32—एक ही वर्ष में दो डिग्री के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर में दायर याचिका WPS No. 209 of 2020 व अन्य याचिका में दिये गये निर्णय अनुसार होगा।

33—आवेदन पत्र की उपलब्धता :— आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी बस्तर जिले के वेबसाईट [www.bastar.gov.in](http://www.bastar.gov.in) पर देखी जा सकती है। दावा आपत्ति/साक्षात्कार हेतु मेरिट सूची एवं चयन सूची भी वेब—साईट पर अपलोड किया जावेगा।

34—विज्ञापन पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।

35—निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा।

36—संविदा भर्ती में किसी भी प्रकार के आपत्ति/विवाद का निराकरण कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

७।०४।२

जिला शिक्षा अधिकारी/सचिव  
संचालन प्रबंध समिति  
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय  
जिला—बस्तर

Download the **छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार** App Now -

[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mithila\\_tech.chhattishgarhupdates](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mithila_tech.chhattishgarhupdates)